

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम  
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141-2228066, फैक्स नः 0141-2228065

ई-मेल : [rmsc@nic.in](mailto:rmsc@nic.in)

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2012/1311

दिनांक : 20.9.12


### कार्यालय आदेश

M/s Medipol Pharma.India Pvt. Ltd.,Baddi (HP) की वर्ष 20112 हेतु औषधियों की निविदा क्रमांक 02/(2)/RMS-C/Pocurment/2011/05 दिनांक 15.10.2011 के तहत औषधि Dextromethorphan Hydrobromide Syrup IP ( कोड नं. 440) की दरो के न्यूनतम होने के कारण अनुमोदित कर दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त औषधियां सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक 937 दिनांक 20/01/2012 जारी किया गया था।

निर्माता फर्म द्वारा, सप्लाई की गयी औषधि Dextromethorphan Hydrobromide Syrup IP (Code No. 440) के कुल 04 बेच को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशालाओं द्वारा टेस्ट कराये जाने पर अवमानक घोषित किये गये।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूनों को पुनः जाँच हेतु अन्य पंजीकृत प्रयोगशाला में भेजा गया, जिसमे से 3 नमूनों की Microbial Test में अवमानक कोटि (Not of Standard Quality) के पाये जाने की पुष्टि हुई।

निर्माता फर्म द्वारा अवमानक कोटि (Not of Standard Quality) की घोषित औषधियों की आपूर्ति की गई है। अतः निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी (Defaulter) होने के कारण निर्माता फर्म M/s Medipol Pharma.India Pvt. Ltd.,Baddi (HP) की औषधि Dextromethorphan Hydrobromide Syrup IP को इस आदेश को जारी करने की तिथि से 2 वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाता है।


  
प्रबन्ध निदेशक  
आर.एम.एस.सी.

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2012/

दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है :

- 1 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 2 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 3 मिशन निदेशक, एन.आर.एच.एम.।
- 4 निदेशक, PH/RCH/HA/AIDS/MSU/IEC, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
- 5 प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश।
- 6 Drug Controller General ( India), New Delhi
- 7 औषधि नियंत्रक, राजस्थान/हिमाचल प्रदेश।
- 8 निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
- 9 विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
- 10 कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त /L/EPM, आर.एम.एस.सी.।
- 11 M/s Medipol Pharma.India Pvt. Ltd.,1199/3,Baddi Dist Solan (HP)-173205.
- 12 आदेश पत्रावली।

  
कार्यकारी निदेशक (क्यू.सी.)  
आर.एम.एस.सी.